



असाधारण

EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित

Published by Authority

सं. 230, पोर्ट ब्लेयर, बुधवार, 20 सितम्बर, 2017  
No. 230, Port Blair, Wednesday, September 20, 2017

अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन  
ANDAMAN AND NICOBAR ADMINISTRATION  
सचिवालय / SECRETARIAT

अधिसूचना

पोर्ट ब्लेयर, दिनांक 20 सितम्बर, 2017

सं. 222/2017/फ.सं. 3-85/2015-16/टी.एस./डी.एफ./ (पी.एफ.-II).— अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह समुद्री मत्स्यहरण विनियम, 2003 (2003 का सं. 1) की धारा 24 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उप राज्यपाल (प्रशासक) अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह, दिनांक 01.06.2004 की अधिसूचना सं. 103 द्वारा अण्डमान तथा निकोबार राजपत्र में प्रकाशित अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह समुद्री मत्स्यहरण नियमावली, 2004, दिनांक 12.10.2007 की अण्डमान तथा निकोबार राजपत्र अधिसूचना सं. 221/2007/फा.सं. 5-1(276)/02-विका.1 में प्रकाशित अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह समुद्री मत्स्यहरण (संशोधन) नियमावली, 2007, दिनांक 22.07.2009 की अधिसूचना सं. 90/2009/फा.सं. 3-85/2008-09/टी.एस./डी.एफ. द्वारा प्रकाशित अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह समुद्री मत्स्यहरण (संशोधन) नियमावली, 2009 तथा दिनांक 29.10.2014 की अधिसूचना सं. 157 द्वारा प्रकाशित अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह समुद्री मत्स्यहरण (संशोधन) नियमावली, 2014 में एतद्वारा निम्नलिखित संशोधन करते हैं और इस प्रकार अधिसूचित करते हैं :-

**1. संक्षिप्त नाम व प्रारम्भ :-**

- (i) इन नियमावली को "अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह समुद्री मत्स्यहरण (संशोधन) नियमावली, 2017" कहा जा सकेगा ।
- (ii) ये नियमावली इनके सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से लागू होंगे ।

**संशोधन**

2. अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह मत्स्यहरण नियमावली, 2004 (यहाँ इसके बाद इस मूल नियमावली कहा जाएगा) में नियम 2 (viii) के बाद निम्नलिखित जोड़ा जाएगा।
- (ix) स्पोर्ट फिशिंग या मनोरंजन संबंधी मत्स्यहरण अर्थात् व्यक्तियों द्वारा प्राथमिक रूप से मनोरंजन के लिए परंतु स्वयं के उपभोग हेतु मछली पकड़ने के संभवतः गौण उद्देश्य से लेकिन इसे आगे बिक्री के लिए नहीं तथा निर्धारित सीमा के भीतर मत्स्यहरण करना।
- (x) स्पोर्ट फिशिंग जलयान अर्थात् अण्डमान तथा निकोबार राज्य क्षेत्रीय समुद्र में स्पोर्ट या मनोरंजन संबंधी मत्स्यहरण करने से संबोधित एम.एस. अधिनियम, 1958 के तहत पंजीकृत प्रोपल्सन के यांत्रिक साधनों सहित निर्मित मत्स्यहरण जलयान।

- (xi) स्पोर्ट फिशिंग गियर अर्थात् स्पोर्ट फिशिंग करने से संबंधित फिशिंग गियर जिसमें शामिल है—जिगिंग, ट्रॉलिंग, पॉपिंग, फ्लाइ फिशिंग, हुक एवं लाईन तथा फिशिंग रॉड, फिशिंग रील, लाईन, हुक, बेअद (कृत्रिम या अन्यथा) जैसे विशेष प्रकार के एंगलिंग उपकरणों के उपयोग द्वारा कोई भी अन्य पद्धति। लेकिन इसमें विस्फोटक, जहर, रसायन, भाला, हरपून या विध्वंशकारी कोई भी अन्य डिवाइस।
- (xii) मालिक अर्थात् के तहत वे व्यक्ति जिनके नाम एम.एस. अधिनियम, 1958 के तहत मत्स्यहरण जलयान पंजीकृत है।
3. मूल नियमावली के नियम 20(ए) के बाद निम्न प्रकार अध्याय -IX के अन्तर्गत जोड़ा जाएगा।

### अध्याय -IX

#### स्पोर्ट फिशिंग नियमावली

##### 21. क) स्पोर्ट फिशिंग जलयान का पंजीकरण

1. स्पोर्ट/मनोरंजन संबंधी मत्स्यहरण से संबंधित एम.एस. अधिनियम-1958 के तहत मत्स्यहरण वाहनों के पंजीकरण की प्रक्रिया अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह समुद्री मत्स्यहरण नियमावली, 2004 के अध्याय II नियम 3(ए) से (क्यू) के अनुसार होगी।
  2. आगे, अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह मेरीन नियमावली-2004 के नियम-3 के प्रावधानों के लिए स्पोर्ट/ गेम फिशिंग के लिए पंजीकरण किए जाने वाले मत्स्यहरण जलयानों के मालिक द्वारा निम्नलिखित अपेक्षाओं की पूर्ति करना होगा :-
    - i. एम.एस. अधिनियम-1958 के तहत प्रपत्र सं. I एवं II में आवेदन।
    - ii. कम्पनी/ कॉर्पोरेटिव के मामलों में एम.एस. अधिनियम में पंजीकरण विवरण प्रपत्र-11 में प्रस्तुत करना होगा।
    - iii. बोट तथा इंजन के खरीद/ निर्माण से संबंधित दस्तावेज बीजक/ बिल/ वाउचर/ विक्रय विलेख/ वस्तु एवं सेवा कर पंजीकरण सं. इत्यादि के रूप में होगा।
    - iv. सभी फिशिंग गियर, उपकरण, उपसाधन तथा ऑन बोर्ड कोई भी अन्य सामग्रियाँ।
    - v. अण्डमान तथा निकोबार मेरीन मत्स्यहरण नियमावली में विनिर्दिष्ट अनुसार संबंधित मेरीन अभियंता द्वारा जारी समुद्री यात्रा की योग्यता प्रमाणपत्र।
    - vi. स्थिरता, टन भार तथा भार ढोने की क्षमता के विवरण तथा विनिर्दिष्टिकरण उपलब्ध कराने हेतु बोट के लिए विनिर्माता का प्रमाणपत्र।
    - vii. यदि निर्माता द्वारा स्थिरता, टनभार तथा भार ढोने की क्षमता प्रमाणपत्र उपलब्ध कराया गया है या बोट का आंशिक परिवर्तन/ पुनर्निर्माण किया गया है, तो प्रमाणित नेवी वास्तुक का प्रमाणपत्र।
    - viii. जलयान की प्रमाणित भार ढोने की क्षमता के अनुसार जल, मशीनरी, क्रू तथा यात्रियों के बीमा।
    - ix. जलयान में जी.पी.एस, मेरीन वी.एच.एफ (स्टोर्टिक) संचालित पहचान प्रणाली तथा डिस्ट्रेस एलर्ट ट्रांसमीटर जैसे संचार उपकरण लगा होना चाहिए और सभी उपकरण सही प्रकार से काम करने की स्थिति में होना चाहिए।
- नोट : इस अधिसूचना की तिथि से छः माह के भीतर सभी स्पोर्ट फिशिंग जलयानों में अपेक्षित विनिर्दिष्टिकरण की संचालित पहचान डिवाइस अनिवार्य है।
- x. पावर बोट ऑपरेटर तथा जलयान के प्रचालन में लगे हुए मास्टर तथा क्रू मेम्बर के लिए प्रथम उपचार सहित समुद्र में सुरक्षा का प्रमाणपत्र।
  - xi. बोर्ड पर प्रथम उपचार किट।

- xii. पंजीकरण/ स्वामित्व हस्तांतरण/ प्राधिकृत अधिकारी का बदलाव/ इंजन को बदलना, इस अधिसूचना में अनुलग्न अनुसूची- में निर्धारित अनुसार होगा या इस नियमावली के अन्तर्गत समय-समय पर अधिसूचित अनुसार होगा।

21. ख) स्पोर्ट फिशिंग लाइसेंस तथा परमिट

क) पंजीकृत स्पोर्ट फिशिंग जलयान द्वारा स्पोर्ट फिशिंग का लाइसेंस अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह समुद्री मत्स्यहरण नियमावली, 2004 के अध्याय -III नियम 4 तथा संशोधनों के तहत प्रावधानों के अनुसार प्रदान/ नवीकरण होगा/ स्पोर्ट जलयान के मत्स्यहरण लाइसेंस प्रदान/ नवीकरण शुल्क का भुगतान करेगा और इस अधिसूचना में अनुलग्न अनुसूची -III में निर्धारित अनुसार या इस नियमावली के तहत समय-समय पर अधिसूचित अनुसार जुमाने का भुगतान करेगा।

ख) उपरोक्त के अतिरिक्त स्पोर्ट/मनोरंजन संबंधी मत्स्यहरण करने वाले स्पोर्ट फिशिंग जलयान के मालिक द्वारा निम्नलिखित अतिरिक्त आवश्यकताओं की पूर्ति करना होगा:-

i. स्पोर्ट फिशिंग जलयान के मालिक को प्रत्येक यात्रा के लिए विदेशी/ भारतीय ग्राहकों के साथ जलयान की यात्रा के लिए ऑनलाइन स्पोर्ट फिशिंग पोर्टल द्वारा या संबंधित प्राधिकृत अधिकारी से यथा निर्धारित परमिट प्राप्त करेगा तथा यात्रा एक समय में एक दिन (5.00 पूर्वाह्न से 5.00 बजे अपराह्न से अधिक नहीं होगा।

ii. स्पोर्ट फिशिंग जहाजों के मालिकों से ऑनलाइन आवेदन प्राप्त होने पर सार्वजनिक अवकाश को छोड़कर सोमवार से शनिवार तक अपराह्न 06:00 बजे तक स्पोर्ट फिशिंग के लिए परमिट जारी किया जाएगा। रविवार एवं सार्वजनिक अवकाशों के दिन परमिट जारी नहीं किया जाएगा। लेकिन जब ऐसी छुट्टियाँ लगातार आएँ तो शर्त में ढील दी जाएगी।

iii. स्पोर्ट फिशिंग जहाजों के मालिक विदेशी पर्यटक को अवसर नहीं देंगे जो गैर-मैत्री राष्ट्रों से आए हैं जिसके बारे में प्राधिकारियों द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट किया जाएगा।

iv. स्पोर्ट फिशिंग जहाजों के मालिक यह सुनिश्चित करेंगे कि विदेशी/भारतीय पर्यटकों का स्पोर्ट फिशिंग सहित साहसिक स्पोर्ट्स के लिए उचित बीमा करवाया गया है।

v. किसी भी अप्रत्याशित परिस्थिति या खराब मौसम के कारण यदि दौरा/यात्रा रद्द हो जाती है तो ऐसी अवस्था में परमिट के लिए ली गई शुल्क को उसी स्पोर्ट फिशिंग जहाज के भावी यात्रा की परमिट के लिए समायोजित किया जाएगा। रद्द हुए दौरा/यात्रा के लिए कोई शुल्क का प्रतिदेय नहीं किया जाएगा।

vi. स्पोर्ट फिशिंग जहाज के मालिक को स्पोर्ट फिशिंग के प्रत्येक यात्रा के लिए परमिट प्राप्त करने हेतु भारतीय पर्यटक के लिए 500 रूपए प्रति व्यक्ति प्रति दौरा/यात्रा की दर से और विदेशी पर्यटक के लिए 2500 रूपए प्रति व्यक्ति प्रति दौरा/यात्रा की दर से शुल्क या जैसा नियमों में विनिर्दिष्ट होगा का भुगतान प्राधिकृत अधिकारी के पास करना होगा।

vii. विशेष आपातकालीन अनुमति के सिवाय स्पोर्ट फिशिंग जहाज के मालिक सूर्यास्त के बाद रात को समुद्र पर स्पोर्ट फिशिंग जहाज के पर्यटकों को रहने नहीं देंगे।

viii. जलयान के मालिक संबंधित प्राधिकारियों के विशेष अनुमति के बिना किसी भी विदेशी/भारतीय पर्यटक को जलयान से किसी भी स्थान पर उतरने की अनुमति नहीं देगा, जब वे स्पोर्ट फिशिंग के लिए समुद्र पर होंगे।

ix. स्पोर्ट फिशिंग जलयान के मालिक/कर्मिंदार को बोट की पंजीकरण प्रमाणपत्र, मत्स्यहरण लाइसेंस, प्रतिबंधित क्षेत्र परमिट की प्रतियाँ, विदेशी नागरिकों के पासपोर्ट की प्रतियाँ, भारतीय पर्यटकों के पहचान प्रमाण (निर्वाचन पहचान पत्र, आधार कार्ड, पासपोर्ट या सरकारी एजेंसियों द्वारा जारी किया गया अन्य पहचान पत्र) की प्रतियाँ एवं प्राधिकृत अधिकारियों के द्वारा प्रत्येक यात्रा के लिए जारी किए गए परमिट पत्र को जलयान में रखना होगा।

x. स्पोर्ट फिशिंग जलयान के मालिक को जलयान के यात्रा पर रवानगी से पहले जलयान में रूका विदेशी/भारतीय नागरिकों की सूचना संबंधित एजेंसियों जैसे पुलिस मरीन बल, पत्तन प्रबंधन बोर्ड, भारतीय तटरक्षक एवं मत्स्य विभाग को देने।

- xi. स्पोर्ट फिशिंग जलयान अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन के द्वारा पत्तन क्षेत्र के अधीन अधिसूचित निर्धारित नेविगेशनल चैनल एवं फिशिंग लेन समय-समय पर जैसा अधिसूचित किया जाएगा, का हमेशा पालन करेंगे।
- xii. स्पोर्ट फिशिंग जलयान को भूभागीय द्वीप राष्ट्रीय पार्कों/वन्यप्राणी अभयारण के किनारों तक तटों पर भाटा की सीमा पर एंकरिंग करना प्रतिबंधित है।
- xiii. स्पोर्ट फिशिंग जलयान के मालिक को यात्रा से पहले स्पोर्ट/गेम फिशिंग जलयान के रवानगी एवं अनुमानित आगमन के समय की सूचना प्राधिकृत अधिकारी, पत्तन प्रबंधन बोर्ड एवं भारतीय तटरक्षक को प्रदान करना होगा।
- xiv. स्पोर्ट फिशिंग जलयान के मालिक भारतीय तटरक्षक, अंडमान तथा निकोबार पुलिस, मत्स्य एवं वन विभाग के पदनामित मत्स्यकी अधिकारी को बोट एवं कर्मीदल का निरीक्षण एवं जलयान पर उपस्थित पर्यटकों के दस्तावेजों की जाँच करने की अनुमति प्रदान करेगा।
- xv. स्पोर्ट फिशिंग जलयान के मालिक को प्रत्येक यात्रा की समाप्ति से 24 घंटे के भीतर यात्रा की जी.पी.एस. लॉग विवरण पुलिस मरीन बल को प्रदान करना होगा और इस विवरण को ई-मेल के माध्यम से भी प्रदान किया जा सकता है।
- xvi. स्पोर्ट फिशिंग जलयान के मालिक को इस अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची I में विनिर्दिष्ट नियमों के किसी भी प्रावधान का इन नियमों के अधीन समय-समय पर अधिसूचित किए जाने वाले प्रावधानों का उल्लंघन करने पर जुर्माना भरना होगा।
- xvii. स्पोर्ट फिशिंग जलयान के मालिक/प्रभारी को अण्डमान तथा निकोबार समुद्री मत्स्यहरण नियम के अधीन विनिर्दिष्ट के अनुसार अंचल-ए और अंचल-बी के पत्तन/जेट्टी से तीन समुद्री मील की दूरी से परे ही हमेशा स्पोर्ट फिशिंग जलयान का प्रचालन करना होगा।
- xviii. स्पोर्ट फिशिंग जलयान के मालिक केवल जलयान के वाहक क्षमता के अनुसार ही कर्मीदल एवं पर्यटकों का वाहन करेंगे।
- xix. स्पोर्ट फिशिंग जलयान के मालिक यह सुनिश्चित करेंगे कि यात्री/पर्यटकों को स्पोर्ट फिशिंग जलयान को चलाने/प्रचालन करने की अनुमति ना दी जाए।
- xx. स्पोर्ट फिशिंग जलयान का मालिक यह सुनिश्चित करेगा कि प्रवाल भित्ति क्षेत्रों/प्रतिबंधित क्षेत्रों पर जहाँ प्राधिकारियों द्वारा स्पोर्ट फिशिंग ग्राउंड पर पहुँचने के लिए निर्देश मार्ग प्रदान किया गया है, पर जलयान चलाने की गति को 10 नॉट से कम रहेगा।
- xxi. स्पोर्ट फिशिंग जलयान के मालिक निर्धारित प्रपत्र में प्रत्येक यात्रा के दौरान पकड़े और मुक्त किए गए मछलियों का लेखा-जोखा तैयार करेगा।
- xxii. स्पोर्ट फिशिंग जलयान के मालिक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि यदि कोई मछली जिसे वन्यप्राणी संरक्षण अधिनियम के तहत संरक्षित किया गया है, का हरण गलती से हो जाता है, तो उसे तत्काल वापस समुद्र में छोड़ दिया जाएगा।
- xxiii. स्पोर्ट फिशिंग जलयान के मालिक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि स्पोर्ट फिशिंग जलयान पर मानव रहित हवाई वाहन (यू.ए.बी.) या किसी भी प्रकार का विनिषद्ध या विस्फोटक सामग्री पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहे।
- xxiv. स्पोर्ट फिशिंग जलयान के मालिक को जलयान के समुद्र पर रहते समय दिखे किसी भी प्रकार के संदिग्ध गतिविधियाँ/व्यक्ति के बारे में सूचना तुरंत नज़दीकी पुलिस स्टेशन/पत्तन नियंत्रण केन्द्र/प्राधिकृत अधिकारी/तटरक्षक को देना होगा।

- xxv. स्पोर्ट फिशिंग के मालिक समुद्र में फसे बोटों/मछली पकड़ने वालों को तत्काल सहायता प्रदान करेगा और इसकी सूचना नजदीकी पुलिस स्टेशन/प्राधिकृत अधिकारी को देगा।
- xxvi. स्पोर्ट फिशिंग के मालिक समुद्र से हमेशा नजदीकी पत्तन नियंत्रण टॉवर से सम्पर्क बनाए रखेगा।
- xxvii. स्पोर्ट फिशिंग के मालिक तट पर पहुँचने के तुरंत बाद ही पत्तन नियंत्रण टॉवर, पुलिस समुद्री बल, और मत्स्य विभाग को बोट/कर्म/अतिथि के चूक, घटना और दुर्घटना तथा मौसम की रिपोर्ट देगा।
- xxviii. ऐसी किसी चूक होने, घटना या दुर्घटना होने पर प्राधिकृत एजेन्सियों/प्राधिकृत अधिकारी या उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा जाँच की जाएगी।
- xxix. निम्नलिखित गतिविधियों को चूक होने, घटना और दुर्घटना के रूप में माना जाएगा।  
 क) जलयान पर कोई यात्री अथवा जलयान कर्म का हताहत होना।  
 ख) संचालन के दौरान स्वयं के अथवा किसी अन्य के जलयान की कोई क्षति होना।  
 ग) पर्यावरण की क्षति या प्रदूषण।  
 घ) किसी तरह की गैरकानूनी गतिविधि।  
 ड.) पत्तन विनियम का उल्लंघन करते हुए सुरक्षा भंग करना।
- xxx. स्पोर्ट फिशिंग जलयान के मालिक अतिथि से स्पोर्ट फिशिंग में जाने से पहले उनके स्वास्थ्य तैरने की क्षमता के बारे में आवश्यक वचनपत्र प्राप्त करेगा।
- xxxi. स्पोर्ट फिशिंग जलयान के मालिक को पकड़ी गई किसी भी ऐसी प्रजाति की मछली की किसी भी दशा में फोटोग्राफी करने की अनुमति नहीं दी जाएगी जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, 1972 के तहत आती है।
- xxxii. स्पोर्ट फिशिंग जलयान के मालिक यह सुनिश्चित करेगा कि स्पोर्ट फिशिंग के दौरान पकड़ी गई ऐसी मछली को हाँफने से पहले समुद्र में वापस छोड़ दिया जाए।
- xxxiii. स्पोर्ट फिशिंग जलयान के मालिक यह सुनिश्चित करेगा कि समुद्र में स्पोर्ट फिशिंग के दौरान महत्वपूर्ण संस्थापनों, महत्वपूर्ण क्षेत्रों और महत्वपूर्ण पोस्ट की फोटोग्राफी/वीडियोग्राफी नहीं किया जाए।
- xxxiv. स्पोर्ट फिशिंग जलयान के मालिक यह सुनिश्चित करेगा कि मछली को चोट पहुँचे बिना ही मछली की या मत्स्यहरण की फोटोग्राफी की जाएगी।
- xxxv. स्पोर्ट फिशिंग जलयान के मालिक को प्रत्येक समुद्र-यात्रा से स्वयं के खाने के लिए अधिकतम 10 किलोग्राम से कम (कुल) दो मछलियाँ ही अपने साथ लाने की अनुमति होगी।
- xxxvi. स्पोर्ट फिशिंग जलयान के मालिक को प्रवाल भित्ति क्षेत्र, द्वीपों के आदिवासी इलाके, समुद्री राष्ट्रीय उद्यानों, अभयारण्यों और समय-समय पर सरकारी राजपत्र में अधिसूचित अन्य क्षेत्रों में स्पोर्ट फिशिंग जलयान को संचालित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। स्पोर्ट फिशिंग स्थल तक जाने के लिए वन्य जीव अभयारण्यों और राष्ट्रीय उद्यान के बीच पड़ने वाली रास्तों से स्पोर्ट फिशिंग जलयान को जाने के लिए अहानिकर रूप से जाने की अनुमति दी जाएगी।
- xxxvii. स्पोर्ट फिशिंग जलयान के मालिक स्पोर्ट फिशिंग जलयान को ऐसी किसी भी कार्यों में नहीं लगाएगा जो मत्स्यहरण से संबंधित नहीं है।
- xxxviii. स्पोर्ट फिशिंग जलयान के मालिक को किसी भी समय बीच समुद्र में मछली और व्यक्ति को स्थानांतरित करने या इस तरह के कार्य करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- xxxix. स्पोर्ट फिशिंग जलयान के मालिक जलयान के ध्यानाकर्षी स्थान पर महत्वपूर्ण टेलीफोन नम्बर (पुलिस, चिकित्सा सहायता, तट रक्षक, एम.आ.सी.सी, पत्तन नियंत्रण आदि), जलयान कर्म के नाम, क्या करें और क्या न करें प्रदर्शित करेगा।

- xi. स्पोर्ट फिशिंग जलयान के मालिक अण्डमान तथा निकोबार समुद्री मत्स्यहरण नियम-2004 में निर्धारित अनुसार मत्स्यहरण लाइसेन्स के निबंधनों और शर्तों का अनुपालन करेगा।
- xii. स्पोर्ट फिशिंग जलयान के मालिक शुल्क सहित विदेशी/भारतीय अतिथियों के सभी समुद्री यात्रा विवरण की रिपोर्ट मत्स्य विभाग द्वारा निर्धारित प्रपत्र में भरकर हार्ड प्रति या सॉफ्ट प्रति में ई-मेल के माध्यम से जमा करेगा।
- xiii. स्पोर्ट फिशिंग जलयान के मालिक ही पूर्ण रूप से समुद्र में जलयान पर सवार प्रत्येक व्यक्ति की सुरक्षा का जिम्मेदार होगा। स्पोर्ट फिशिंग यात्रा के दौरान किसी जान-माल की क्षति के लिए मत्स्य विभाग अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन जिम्मेदार नहीं होगा।

प्रो. जगदीश मुखी  
उप राज्यपाल (प्रशासक),  
अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह ।

उप राज्यपाल, अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह के आदेश से तथा उनके नाम पर ।

ह./-  
(उत्पल कुमार सर)  
मत्स्य निदेशक

**अनुसूची-1**  
**नियम 21 (xvi)**

अण्डमान तथा निकोबार समुद्री मत्स्यहरण नियमों के प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले स्पोर्ट फिशिंग जलयानों/ स्पोर्ट फिशिंग में लगे हुए अपंजीकृत जलयानों के गैर कानूनी / अनियंत्रित गतिविधियों के लिए जुर्माना।

| क्रम संख्या | गतिविधि                                                                                                                                    | जुर्माना (रु.)                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| क)          | पंजीकरण के बिना स्पोर्ट फिशिंग जलयानों का प्रचालन                                                                                          | पहली बार- रु. 10000/- जुर्माना। ऐसा न करने पर जुर्माने के भुगतान तक जलयान को जब्त रखा जाएगा।<br>दूसरी बार- निकटवर्ती पुलिस स्टेशन में "सरकारी सम्पत्तियों को चोरी करने के जुर्म में पुलिस दण्ड संहिता के तहत एफ.आई.आर. दर्ज की जाएगी।                                |
| ख)          | बिना उपयुक्त रंगों के कोड/एल.एस. ए./एफ.एफ.ए./डी.ए.टी./जी.पी.एस./संचार प्रणाली/ पंजीकरण संख्या के पंजीकृत स्पोर्ट फिशिंग जलयानों का प्रचालन | पहली बार- रु. 5000/- जुर्माना। ऐसा न करने पर एक माह के लिए फिशिंग लाइसेंस रद्द/निलम्बित की जाएगी।<br>दूसरी बार- अस्थाई तौर पर छः माह के लिए फिशिंग लाइसेंस को रद्द की जाएगी। उसके पश्चात् प्राधिकारी द्वारा निर्धारित अवधि तक फिशिंग लाइसेंस रद्द/निलम्बित की जाएगी। |
| ग)          | उपयुक्त दस्तावेज के बिना/ परिवर्तित आकार/बदले गए इंजन वाले स्पोर्ट फिशिंग जलयानों का प्रचालन                                               | पहली घटना पर रु. 5000/- का जुर्माना और ऐसा अपराध दोबारा करने पर मत्स्यहरण लाइसेंस को रद्द की जाएगी।                                                                                                                                                                  |
| घ)          | उपयुक्त फिशिंग लाइसेंस/एम.एफ.आई. डी./नाविकों का बायो मेट्रिक कार्ड/मालिक के बिना स्पोर्ट फिशिंग जलयानों का प्रचालन                         | पहली बार-रु. 5000/- का जुर्माना। ऐसा न करने पर एक माह के लिए फिशिंग लाइसेंस रद्द/निलम्बित की जाएगी।<br>अस्थाई तौर पर छः माह के लिए फिशिंग लाइसेंस को रद्द की जाएगी। उसके पश्चात् प्राधिकारी द्वारा निर्धारित अवधि तक फिशिंग लाइसेंस रद्द/निलम्बित की जाएगी।          |
| च)          | वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम- 1972 के अन्तर्गत संरक्षित क्षेत्र के अतिरिक्त प्रतिबंधित क्षेत्र में स्पोर्ट फिशिंग जलयानों का प्रचालन        | पहली बार- एक माह के लिए फिशिंग लाइसेंस रद्द/निलम्बित की जाएगी। उसके पश्चात् प्राधिकारी द्वारा निर्धारित अवधि तक के लिए फिशिंग लाइसेंस को रद्द की जाएगी।                                                                                                              |
| छ)          | प्रतिबंधित/संरक्षित क्षेत्र में स्पोर्ट फिशिंग जलयानों का प्रचालन                                                                          | पहली बार-एक माह के लिए फिशिंग लाइसेंस रद्द की जाएगी। उसके पश्चात् वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम के तहत उल्लेखित जुर्माना के साथ प्राधिकारी द्वारा निर्धारित अवधि तक के लिए फिशिंग लाइसेंस को रद्द/निलम्बित की जाएगी।                                                   |
| ज)          | गैर- अनुमति प्राप्त फिशिंग गियर वाले स्पोर्ट फिशिंग जलयानों का प्रचालन                                                                     | रु. 2000/- जुर्माना, के साथ फिशिंग गियर को जब्त कर नष्ट कर दिया जाएगा।                                                                                                                                                                                               |
| झ)          | नाविकों सहित/क्षमता से अधिक पर्यटक वहन करने वाले स्पोर्ट फिशिंग जलयानों का प्रचालन                                                         | रु. 5000/- जुर्माना, जुर्माना न देने पर तीन माह के लिए फिशिंग लाइसेंस रद्द/निलम्बित की जाएगी।                                                                                                                                                                        |

|    |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                              |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ट) | मनोरंजन के लिए/पर्यटकों को ले जाने संबंधी उपयुक्त परमिट के बिना स्पोर्ट फिशिंग जलयानों का प्रचालन        | पहली बार— रु. 10000/- का जुर्माना ऐसा न करने पर तीन माह के लिए फिशिंग लाईसेंस को रद्द/निलम्बित की जाएगी।<br>दूसरी बार— फिशिंग लाईसेंस एक वर्ष के लिए फिशिंग लाईसेंस रद्द/निलम्बित की जाएगी।  |
| ठ) | मत्स्यहरण के अलावा अतिरिक्त अन्य गतिविधियों के लिए स्पोर्ट फिशिंग जलयानों का प्रचालन                     | पहली बार— रु. 5000/- का जुर्माना, जुर्माना न देने पर तीन माह के लिए फिशिंग लाईसेंस को रद्द/निलम्बित की जाएगी।<br>दूसरी बार— एक वर्ष के लिए फिशिंग लाईसेंस को रद्द/निलम्बित की जाएगी।         |
| ड) | दी गई मछली पकड़ने की अनुमति के अलावा समुद्री सम्पदा जिसे कि सरकारी सम्पत्ति माना जाता है, को एकत्र करना। | वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम-1972 के प्रावधान के अनुसार अथवा सरकारी सम्पत्ति को क्षति पहुँचाने के संबंधित प्रावधान के तहत जुर्माना। साथ ही स्थाई रूप से जलयान के पंजीकरण को भी रद्द की जाएगी। |

## अनुसूची-II

नियम 21(2)(xii) के साथ पठित नियम 3 (एफ) देखें

पंजीकरण, स्वामित्व का हस्तांतरण, मूल मत्स्यहरण स्थान का बदलाव तथा इंजन की प्रतिस्थापना के लिए देय शुल्क

| मत्स्यहरण जलयान का विवरण                        | प्रावधान     |                        |                            |                      |
|-------------------------------------------------|--------------|------------------------|----------------------------|----------------------|
|                                                 | पंजीकरण      | स्वामित्व का हस्तांतरण | प्राधिकृत अधिकारी का बदलाव | इंजन की प्रतिस्थापना |
| 1. इंजन से चलने वाली यांत्रिकृत मत्स्यहरण जलयान |              |                        |                            |                      |
| i) स्पोर्ट फिशिंग जलयान                         | रु. 20,000/- | रु. 5000/-             | रु. 5000/-                 | रु. 5000/-           |

- नोट : 1. जब स्वामित्व हस्तांतरण के कारण मूल स्थान में बदलाव होता है तो प्राधिकृत अधिकारी के बदलाव के लिए कोई अतिरिक्त शुल्क देय नहीं होगा।
2. अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह समुद्री मत्स्यहरण (संशोधन) 2004 के नियम 3 (एफ) के तहत दरों में संशोधन किया जा सकता है।

**अनुसूची-III**  
नियम 21(ए) के साथ पठित नियम 4 (एच) देखें

मत्स्यहरण लाईसेंस, मत्स्यहरण लाईसेंस का नवीनीकरण के लिए देय शुल्क तथा मत्स्यहरण लाईसेंस के नवीनीकरण में हुए विलम्ब के लिए जुर्माना

| मत्स्यहरण जलयान का विवरण                                           | प्रावधान                                                            |                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                    | मत्स्यहरण लाईसेंस/<br>मत्स्यहरण लाईसेंस का<br>नवीनीकरण (प्रति वर्ष) | प्रति माह या माह के कुछ<br>भाग के लिए नवीनीकरण<br>में हुए विलम्ब के लिए<br>जुर्माना |
| 1. यांत्रिक/मोटरीकृत मत्स्यहरण<br>जलयान<br>i) स्पोर्ट फिशिंग जलयान | रु. 10,000 / -                                                      | रु. 5000 / -                                                                        |

- नोट : 1. मत्स्यहरण लाईसेंस की अवधि समाप्त होने के एक माह के बाद मत्स्यहरण लाईसेंस के नवीनीकरण स्वीकार्य नहीं होगी ।
2. अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह समुद्री मत्स्यहरण (संशोधन) नियम, 2004 के नियम 4 (एच) के तहत दरों में संशोधन किया जा सकता है ।

प्रो. जगदीश मुखी  
उप राज्यपाल (प्रशासक),  
अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह ।

उप राज्यपाल, अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह के आदेश से तथा उनके नाम पर ।

ह./-  
(उत्पल कुमार सर)  
मत्स्य निदेशक

**ANDAMAN AND NICOBAR ADMINISTRATION  
SECRETARIAT**

**NOTIFICATION**

Port Blair, dated the 20<sup>th</sup> September, 2017.

No. 222/2017/F. No. 3-85/2015-16/TS/DF/(PF - II).— In exercise of powers conferred under Section 24 of the A&N Islands Marine Fishing Regulation, 2003 (No.1 of 2003), the Lieutenant Governor (Administrator), Andaman & Nicobar Islands hereby makes following amendments to the Andaman & Nicobar Islands Marine Fishing Rules, 2004 as published in the Andaman & Nicobar Gazette vide Notification No. 103 of 2004 dated 01.06.2004, Andaman & Nicobar Islands Marine Fishing (Amendment) Rule, 2007, published in Andaman & Nicobar Gazette Notification No. 221/2007/F. No. 5 - 1 (276)/02-Dev. I dated 12<sup>th</sup> Oct. 2007, A&N Islands Marine Fishing (Amendment) Rules, 2009 published vide Notification No. 90/2009/F. No. 3-85/2008-09/TS/DF dated 22<sup>nd</sup> July 2009 and A&N Islands Marine Fishing (Amendment) Rule, 2014 published vide Notification No. 157 dated 29.10.2014 and notifies as follows:-

**1. Short Title and Commencement**

- (i) These rules may be called the Andaman & Nicobar Islands Marine Fishing (Amendment) Rules, 2017.
- (ii) It shall come into force with effect from the date of publication in the Official Gazette of Andaman & Nicobar Administration.

**AMENDMENTS**

2. In the Andaman Nicobar Islands Marine Fishing Rules, 2004 (hereinafter called "Principal Rules") the following shall be added after Rule 2 (viii).

- (ix) "Sport Fishing or Recreational Fishing" means Fishing conducted by individuals primarily for Sport but with a possible secondary objective of capturing fish for self - consumption but not for onward sale and within prescribed limit.
- (x) "Sport Fishing Vessel" means Fishing Vessel fitted with mechanized means of propulsion registered under M.S. Act - 1958 engaged in conducting Sport or Recreational Fishing in A&N Territorial waters.
- (xi) "Sport Fishing Gear" means fishing gears in relation to conduct of Sport Fishing includes Jigging, Trolling, Popping, Fly Fishing, Hook & Line and any other method by using specialized angling equipments such as Fishing Rod, Fishing Reel, Line, Hook, Bait (artificial or otherwise) and not including explosives, poison, chemical, spear, harpoon or any other device of destruction.
- (xii) "Owner" means the person in whose name the Sport Fishing Vessel is registered under M.S. Act - 1958.

3. After Rule 20 (a) of the Principal Rule, the following shall be added as below under Chapter - IX.

**Chapter - IX**

**Sport Fishing Rules**

**21. A) Registration of Sport Fishing Vessel**

1. The procedure for Registration of Fishing Vessels under M.S. Act - 1958 to be engaged for Sport / Recreational Fishing shall be in accordance with Chapter - II Rule - 3(a) to (g) of Andaman and Nicobar Islands Marine Fishing Rules - 2004 and subsequent Notifications thereunder.
2. Further to the provisions of Rule - 3 of Andaman and Nicobar Islands Marine Fishing Rules - 2004, the following requirements are to be fulfilled by the Owner of the Fishing Vessel to be registered for Sport / Game Fishing :-

- i. Application in Form No. I and II under MS Act - 1958.
  - ii. In case of company / co-operatives, registration particulars in MS Act to be furnished in Form - II.
  - iii. Documents pertaining to purchase / construction of boat and engine in the form of invoice / Bill / Vouchers / Sale Deed / GST Registration No. etc.
  - iv. Documentary evidence for purchase of all the fishing gears, equipments, accessories and any other materials on board.
  - v. Seaworthiness certificate issued by the concerned Marine Engineer as specified in the A&N Marine Fishing Rules.
  - vi. Builder's Certificate for the boat to provide details and specification of stability, tonnage and carrying capacity.
  - vii. Certificate of stability, tonnage and carrying capacity by certified Naval Architect if not provided by builder or if boat is modified / re-built.
  - viii. Insurance for Hull, Machinery, Crew and Passengers as per certified carrying capacity of the Vessel.
  - ix. The Vessel should be fitted with communication equipments such as GPS, Marine VHF (Static), Automatic Identification System\* (AIS) and Distress Alert Transmitters (DAT) and all should be in perfect working condition.
- \*Note:- Automatic Identification Device of required specifications shall be compulsory in all Sport Fishing Vessels within six months from the date of this Notification.
- x. Certificate of Power Boat Operator and Safety at Sea including First Aid for the Master and member of crew to be engaged for operation of the Vessel.
  - xi. First Aid Kit onboard.
  - xii. Payment of Fee for Registration / Transfer of Ownership / Change of Authorized Officer / Replacement of Engine as prescribed in Schedule - II. Annexed to this Notification or as may be notified from time to time under the Rules.

**21. B) Sport Fishing License and Permit**

- a) The License for undertaking Sport Fishing by the registered Sport Fishing Vessel shall be granted / renewed as per provisions under Chapter - III Rule 4 of Andaman & Nicobar Islands Marine Fishing Rules, 2004 and its subsequent amendments in force. The Owner of the Sport Fishing Vessel shall pay the fee for grant / renewal of Fishing License for the Sport Fishing Vessel and penalty as prescribed in Schedule - III annexed to this Notification or as may be notified from time to time under the Rules.
- b) In addition to the above, following additional requirements are to be fulfilled by the Owner of the Sport Fishing Vessel to be engaged for Sport / Recreational Fishing :-
  - i. Owner of Sport Fishing Vessel shall obtain permit through online Sport Fishing portal or as may be prescribed from the respective Authorized Officer for sailing of the Vessel with Foreign / Indian clients for each voyage and the voyage should not be for more than one day (05:00 AM to 05:00 PM not including night hours) at a time.
  - ii. The permit for Sport Fishing shall be issued on receipt of online application from the Owner of the Sport Fishing Vessel on Monday to Saturday upto 06:00 PM excluding on Public Holidays. No permit shall be issued on Sundays and Govt. Holidays except in cases when such holidays come in a consecutive manner.
  - iii. The Owner of Sport Fishing Vessel shall not entertain Foreign Guest from non - friendly Nations as may be specified by authorities from time to time.
  - iv. The Owner of Sport Fishing Vessel shall ensure that the Foreign / Indian Guests are covered with proper insurance for adventure water sports including Sport Fishing.
  - v. In the event of any unforeseen circumstances or bad weather condition leading to cancellation of the trip the fee collected towards permit shall be adjusted for future sailing permits of the same Sport Fishing Vessel. No refund shall be made for cancelled trip.

- vi. Owner of Sport Fishing Vessel shall pay the fee for the Indian Guests @ ₹ 500/- per person per day per trip while for Foreign Guests @ ₹ 2500/- to per person per day per trip to the Authorized Officer or as may be prescribed in the rules for obtaining permit for Sport Fishing for each voyage.
- vii. The Owner of Sport Fishing Vessel shall not allow the guests to stay at sea onboard Sport Fishing Vessel at night after sunset without specific emergency permission.
- viii. The Owner of the vessel shall not allow the Foreign / Indian Guests to disembark from the vessel at any place while at sea for Sport Fishing without specific permission for such landing from concerned authorities.
- ix. The Owner / Crew of Sport Fishing Vessel shall carry onboard copy of Registration Certificate of Boat, Fishing License, Restricted Area Permit and copy of Passport for Foreign Nationals, Identity proof for Indian Guests (Election Identity Card, Aadhar Card, Passport and any other Identity Card issued by the Govt. agency) Fishing License and Letter of Permit issued by the Authorized Officer during each voyage.
- x. The Owner of Sport Fishing Vessel shall intimate the concerned agencies viz. Police Marine Force, Port Management Board, Indian Coast Guard and Fisheries Department for sailing with Foreign / Indian Nationals before departure of the vessel.
- xi. Sport Fishing Vessel shall always follow prescribed navigational channel and fishing lane notified by the A&N Administration under the port area or as may be notified from time to time.
- xii. Anchoring of the Sport Fishing Vessel along the shore of Terrestrial Island National Parks / Wildlife Sanctuaries beyond point of low tide on the landward side is prohibited.
- xiii. The Owner of Sport Fishing Vessel shall inform itinerary of departure and expected time of arrival of Sport / Game Fishing Vessel to the Authorized Officer, Port Management Board and Indian Coast Guard prior to sailing.
- xiv. The Owner of Sport Fishing Vessel shall allow inspection of the Boat, Crews and verification of documents of the Guests onboard by designated Fishery Officer of Coast Guard, A&N Police, Fisheries and Forest Department.
- xv. The Owner of Sport Fishing Vessel shall furnish GPS log / sailing details within 24 hours on completion of each voyage to the Police Marine Force and the same can be furnished through e-mail also.
- xvi. The Owner of the Sport Fishing Vessel shall be liable to pay penalty for violation of any of the provisions of the Rules specified in Schedule - I annexed to this Notification or as may be notified from time to time under the Rules.
- xvii. The Owner / In-charge of Sport Fishing Vessel shall always operate the Sport Fishing Vessel beyond 3 Nautical Miles from nearest Port / Jetty of Zone - A and in Zone - B as specified under A&N Marine Fishing Rules.
- xviii. The Owner of Sport Fishing Vessel shall only carry Crew & Guest as per carrying capacity of the boat.
- xix. The Owner of Sport Fishing Vessel shall ensure that Passengers / Tourists are not permitted to drive / operate Sport Fishing Vessel.
- xx. The Owner of Sport Fishing Vessel shall ensure that the vessel maintain cruising speed below 10 knots near Coral Reef area / restricted areas whenever innocent passage is given by authorities to reach Sport Fishing grounds.
- xxi. The Owner of Sport Fishing Vessel shall maintain record of fish caught and released during each voyage in the format as may be prescribed.
- xxii. The Owner of Sport Fishing Vessel must ensure that any fish caught accidentally covered under Wildlife Protection Act must be released back to sea immediately.

- xxiii. The Owner of Sport Fishing Vessel shall ensure that carrying of Unmanned Ariel Vehicle (UAV's) or any contraband or explosive items onboard Sport Fishing Vessel is strictly prohibited.
- xxiv. The Owner of Sport Fishing Vessel shall report sighting of any suspicious activity / mean while at sea to the nearest Police Station / Port Control / Authorized Officer/ Coast Guard immediately.
- xxv. The Owner of Sport Fishing Vessel shall provide immediate help to the Fisher / Stranded Boat in distress while at sea and report to the nearest Police Station / Authorized Officer.
- xxvi. The Owner of the Sport Fishing Vessel shall maintain regular contact with the nearest Port Control Tower while at sea.
- xxvii. The Owner of the Sport Fishing vessel shall report the miss, incident & accident of the Boat / Crew / Guest / environment to the Port Control Tower, Police Marine Force and Fisheries Department immediately on reaching the shore.
- xxviii. After any such miss, incident or accident an investigation shall be carried out by the Authorized Agencies / Authorized Officer or his authorized representative.
- xxix. The belowmentioned activities shall be treated as near miss, incident and accident.
  - a) Any casualty onboard involving passenger or crew.
  - b) Any damage to own or other vessel (minor or major) during any operation.
  - c) Any damage to environment or pollution.
  - d) Any unlawful activity.
  - e) Any breach in security violating port regulation.
- xxx. The Owner of the Sport Fishing Vessel shall obtain necessary undertaking from the Guest about their health conditions and ability to swim before venturing for Sport Fishing.
- xxxi. The Owner of the Sport Fishing Vessel shall not allow photography by any angler with any species of fishes caught which is covered under Wild Life Protection Act, 1972.
- xxxii. The Owner of the Sport Fishing Vessel shall ensure the release of fish caught during Sport Fishing immediately back to the sea prior to gasping situation.
- xxxiii. The Owner of the Sport Fishing Vessel shall ensure that no Photography / Videography of the Vital Installations, Vital Areas and Vital Posts are done during Sport Fishing at sea.
- xxxiv. The Owner of the Sport Fishing Vessel shall ensure that Photography of Fish & Fishing is done without causing injury to the fish.
- xxxv. The Owner of the Sport Fishing Vessel is allowed to bring a maximum of two fish not exceeding more than 10 kgs. in weight (total) for self consumption during each voyage.
- xxxvi. The Owner of the Sport Fishing Vessel shall not allow the operation of the Sport Fishing Vessel in Coral Reef area, Tribal Belt of the Islands, Marine National Parks, Sanctuaries and such other areas notified in the official gazette from time to time. Innocent passage shall be allowed to the Sport Fishing Vessels to pass through areas falling under Wildlife Sanctuaries and National Parks for reaching Sport Fishing grounds.
- xxxvii. The Owner of the Sport Fishing Vessel shall not engage the Sport Fishing Boat for gain in such a manner which is not connected with fishing activity.
- xxxviii. The Owner of the Sport Fishing Vessel shall not allow or engage in mid sea transfer of fish and man at any time.

- xxxix. The Owner of the Sport Fishing Vessel shall display particulars of important telephone numbers (Police, Medical Assistance, Coast Guard, MRCC, Port Control etc.), name of crew members, do's & don'ts at conspicuous place of the vessel.
- xl. The Owner of Sport Fishing Vessel shall abide by all terms and conditions of fishing license as stipulated in A&N Marine Fishing Rule – 2004.
- xli. The Owner of the vessel shall submit monthly report of all sailing with Foreign / Indian Guest including fee details in the format as may be prescribed by Fisheries Department either in hard copy or in soft copy through e-mail.
- xlii. The Owner of the Sport Fishing Vessel shall be solely responsible for safety of all the individuals onboard the vessel while at sea and the Department of Fisheries, A & N Administration shall not be responsible for any loss of life or property during Sport Fishing trip.

**Prof. Jagdish Mukhi**  
Lieutenant Governor (Administrator)  
A & N Islands

By order and in the name of the Lt. Governor, A&N Islands,

Sd./-  
**(Utpal Kumar Sar)**  
Director of Fisheries

**SCHEDULE - I**

**See Rule 21 (xvi)**

**PENALTY FOR THE UNREGULATED/ILLEGAL ACTIVITIES BY THE UNREGISTERED VESSELS ENGAGED IN SPORT FISHING/SPORT FISHING VESSELS VIOLATING THE PROVISIONS OF ANDAMAN AND NICOBAR ISLANDS MARINE FISHING RULES.**

| Sl. No. | Activity                                                                                                                                  | Penalty (₹)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| a)      | Operation of any vessel for Sport Fishing without Registration.                                                                           | 1 <sup>st</sup> time - Fine of ₹ 10,000/-, failing which, to seize the vessel till payment of fine.<br>2 <sup>nd</sup> time - Lodging of FIR with the nearest Police Station to book them under the IPC dealing with "Theft of Govt. property".                                                                                          |
| b)      | Operation of registered Sport Fishing Vessel without proper color coding/ LSA/ FFA/ DAT/ GPS/ Communication System / Registration Number. | 1 <sup>st</sup> time - Fine of ₹ 5000/-, failing which, Cancellation / Suspension of Fishing License for a period of one month.<br>2 <sup>nd</sup> time - Temporary cancellation of Fishing License for a period of six months and thereafter Cancellation / Suspension of the Fishing License for a period as decided by the Authority. |
| c)      | Operation of Sport Fishing Vessel without proper document/ alteration of size / replacement of engine etc.                                | ₹ 5000/- at the first instance and cancellation of Fishing License in the event of repetition of the offence.                                                                                                                                                                                                                            |
| d)      | Operation of Sport Fishing Vessel without carrying proper Fishing License / MFID / Bio-metric card by crew members / owner.               | 1 <sup>st</sup> time - Fine of ₹ 5000/-, failing which, Cancellation / Suspension of Fishing License for a period of one month.<br>2 <sup>nd</sup> time - Temporary Cancellation of Fishing License for a period of six months and thereafter Cancellation / Suspension of the Fishing License for a period as decided by the Authority. |
| e)      | Operation of Sport Fishing Vessel in non permitted areas other than protected areas under Wild Life Protection Act - 1972.                | 1 <sup>st</sup> time - Cancellation / Suspension of Fishing License for a period of one month and thereafter Cancellation of the Fishing License for a period as decided by the Authority.                                                                                                                                               |
| f)      | Operation of Sport Fishing Vessel in prohibited/protected area.                                                                           | 1 <sup>st</sup> time - Cancellation / Suspension of Fishing License for a period of one month and thereafter Cancellation of the Fishing License for a period as decided by the Authority in addition to penalty prescribed in Wildlife Protection Act.                                                                                  |
| g)      | Operation of Sport Fishing Vessel with non-permitted Fishing gears.                                                                       | Fine of ₹ 2000/- alongwith seizure of the Fishing gear and destroy the same.                                                                                                                                                                                                                                                             |
| h)      | Operation of Sport Fishing Vessel with Crews / Guest more than carrying capacity.                                                         | ₹ 5,000/-, failing to pay fine, Cancellation / Suspension of Fishing License for a period of three months.                                                                                                                                                                                                                               |
| i)      | Operation of Sport Fishing Vessel for Recreational / Sport Fishing without proper permit for the Guests.                                  | 1 <sup>st</sup> time - Fine of ₹ 10,000/-, failing to pay the fine, Cancellation of the Fishing License for three months.<br>2 <sup>nd</sup> time - Cancellation / Suspension of Fishing License for a period of one year.                                                                                                               |
| j)      | Operation of Sport Fishing Vessel for activities other than Fishing.                                                                      | 1 <sup>st</sup> time - Fine of ₹ 5,000/-, failing to pay the fine, Cancellation of the Fishing License for three months.<br>2 <sup>nd</sup> time - Cancellation / Suspension of Fishing License for a period of one year.                                                                                                                |
| k)      | Collection of marine wealth other than permitted fishes which are treated as Govt. property.                                              | Penalty as per the provisions of Wildlife Protection Act - 1972 or as provided under relevant provisions of damage of Govt. property. Also immediate Cancellation of Registration of the Vessel permanent.                                                                                                                               |

**SCHEDULE - II**  
See Rule 3(f) read with Rule 21 (2) (xii)

**FEES PAYABLE FOR REGISTRATION, TRANSFER OF OWNERSHIP, CHANGE OF PRINCIPAL FISHING BASE AND REPLACEMENT OF ENGINE**

| Description of Fishing Vessel                                                              | Provision    |                       |                              |                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|------------------------------|-----------------------|
|                                                                                            | Registration | Transfer of Ownership | Change of Authorized Officer | Replacement of Engine |
| 1. Mechanized Fishing Vessel powered and propelled by an engine<br>i) Sport Fishing Vessel | ₹ 20,000/-   | ₹ 5000/-              | ₹ 5000/-                     | ₹ 5000/-              |

- Note :**
1. When change of principal base is occasioned through transfer of Ownership no fees are separately payable for change of Authorized Officer.
  2. The rates are subject to revision under rule 3 (f) of Andaman and Nicobar Islands Marine Fishing (Amendment), 2004.

**SCHEDULE - III**  
See Rule 4 (h) read with Rule 21 (a)

**FEES PAYABLE FOR FISHING LICENSE, RENEWAL OF FISHING LICENSE AND PENALTY FOR DELAY IN RENEWAL OF FISHING LICENSE**

| Description of Fishing Vessel                                       | Provision                                                |                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|                                                                     | Fishing License/ Renewal of Fishing License (every year) | Penalty for delay in Renewal for every month or a part of a month |
| 1. Mechanized / Motorized Fishing Vessel<br>i) Sport Fishing Vessel | ₹ 10,000/-                                               | ₹ 5,000/-                                                         |

- Note :**
1. Renewal of Fishing License is not admissible after expiration of 01 month from the date of expiry of Fishing License.
  2. The rates are subject to revision under rule 4 (h) of Andaman and Nicobar Islands Marine Fishing (Amendment) Rule, 2017.

**Prof. Jagdish Mukhi**  
Lieutenant Governor (Administrator)  
A & N Islands.

By order and in the name of the Lt. Governor, A&N Islands,

Sd./-  
**(Utpal Kumar Sar)**  
Director of Fisheries